दूरभाष संख्या / 220228.
Telephone No. 220228

पत्रांक / Letter No. 154 / पार्किंग शुल्क,
कार्यालय छावनी परिषद, रानीखेत।
Office of the Cantonment Board, Ranikhet.
दिनांक / Dated 8 मार्च / March.,2016.

सेवा में,

निजी संवाददाता,
दैनिक जागरण / अमर उजाला,
रानीखेत।

विषय : **विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

प्रिय महोदय,

कृपया निम्न सूचना को अपने आगामी अंक में न्यूनतम सरकारी दरों पर (6X8 size) प्रकाशित कर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
रानीखेत।

प्रतिलिपि–

प्रोग्रामर,
छावनी परिषद, रानीखेत – को उपरोक्तानुसार website में upload हेतु।

अल्प कालीन निविदा सूचना।
छावनी परिषद, रानीखेत।

छावनी परिषद रानीखेत द्वारा निम्न कार्यों हेतु पुनः मुहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं, जो निविदाओं के सम्मुख अंकित तिथियों को इस कार्यालय मे पहुंचनी अनिवार्य हैं :–

क्रम सं0	निविदा का नाम	निविदा की तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	अग्रिम राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत
1	छावनी क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग शुल्क की वसूली।	15–03–2016 सायं 03 बजे तक।	15–03–2016, सायं 04 बजे।	25,000.00	500.00
2	सदर बाजार स्थित मीट स्टाल संख्या 01 एवं 05 हेतु स्टालेज शुल्क।	16–03–2016 सायं 03 बजे तक।	16–03–2016, सायं 04 बजे।	10,000.00 (प्रत्येक)	500.00 (प्रत्येक)

नियम व शर्तों एवं अन्य विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस के दिन कार्यालय से अथवा हमारी website cbranikhet@dgest.org में log in कर ज्ञात की जा सकती है।

दूरभाष संख्या–05966–220228.
पत्रांक– 237 / निविदा सूचना,
दिनांक– 8 मार्च,2016.

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद,रानीखेत।
(एम0वी0एन0रेड्डी)

दूरभाष संख्या/220228.
फैक्स संख्या/220614.

पत्रांक/ 154/पार्किंग भुल्क,
कार्यालय छावनी परिशद,रानीखेत।
दिनांक 08 मार्च,2016.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद रानीखेत द्वारा छावनी क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार हेतु दिनांक 15–03–2016 को अपरान्ह 03:00 बजे तक छावनी परिषद कार्यालय में मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि व समय तक निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं जो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाऐंगी।

नियम व शर्ते

1. इच्छुक व्यक्ति को निविदा में सम्मिलित होने के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद से एक निर्धारित प्रपत्र में (जो इस कार्यालय में ₹ 500/– भुगतान पर उपलब्ध है) निविदा देने से पूर्व अग्रिम धनराशि जमा करने की अनुमति लेनी होगी। केवल वही व्यक्ति निविदा से पूर्व अग्रिम राशि ₹ 25,000.00 जमा कर निविदा डाल सकते हैं जिनके द्वारा पूर्व अनुमति ली गयी हो। उक्त अनुमति पत्र छावनी परिषद कार्यालय से दिनांक 14–03–2016 के अपरान्ह 03:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
2. पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार प्राप्त करने के एवज में दी जाने वाली मासिक एकमुस्त राशि निविदा प्रपत्र में अंकित करनी होगी।
3. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदादाताओं की अग्रिम राशि रोकी जाएगी एवं अन्य असफल निविदादाताओं की अग्रिम राशि आवेदन करने के उपरान्त वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार की अवधि छावनी परिषद द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार देने की तिथि से 31–03–2017 तक होगी। यदि ठेकेदार ठेका अवधि समाप्त होने से पूर्व ही ठेका छोड़कर चला जाता है तो ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि छावनी परिषद द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
5. वे व्यक्ति जिन पर छावनी परिषद का कोई कर/देयक शेष है निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
6. निविदादाता को उसके द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने के एवज में छावनी परिषद को दी जाने वाली वार्षिक राशि का 20 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट या सावधि जमा (जो मुख्य अधिशासी अधिकारी,छावनी परिषद,रानीखेत के पक्ष में हो) द्वारा निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस भीतर कार्यालय में भुगतान करना होगा। यदि ठेकेदार ठेका अवधि समाप्त होने से पूर्व ही ठेका छोड़कर चला जाता है तो ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि छावनी परिषद द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सफल निविदादाता को छावनी परिषद कार्यालय द्वारा किया गया पत्राचार का खर्चा व अन्य खर्चे जमा की गई धरोहर राशि से घटाया जायेगा।
7. उक्त धरोहर राशि सफल निविदादाता को उसके द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार की अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के भुगतान पर वापस कर दी जाएगी।
8. सफल निविदादाता को केवल निम्नानुसार दर्शित पार्किंग स्थलों से निर्धारित दरों पर ही पार्किंग शुल्क वसूलना होगा, अन्य स्थानों से नहीं। छावनी परिषद द्वारा स्वीकृत दर से अधिक राशि वसूलना अवैध वसूली माना जायेगा जो कानूनन दण्डनीय होगा, जिसके अन्तर्गत छावनी परिषद द्वारा निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं ठेका भी रद्द किया जा सकता है।
9. सफल निविदादाता को अंग्रेजी कलैण्डर के प्रत्येक माह की 7 तारीख तक निविदा के अनुसार स्वीकृत मासिक किस्त की धनराशि का भुगतान नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट से करना होगा तथा निविदाराशि पर नियमानुसार आयकर देय होगा, जो प्रत्येक मासिक किस्त के साथ अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य होगा।
10. ऐसी कोई सूचना मय साक्ष्य के प्राप्त होने पर कि सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग शुल्क निर्धारित दर से ज्यादा वसूल किया गया है, की स्थिति में पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार को परिषद द्वारा वापस लिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि (धरोहर) को जब्त कर पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार प्राप्त करने हेतु पुनः निविदाऐं आमंत्रित की जायेंगी।
11. सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा।

12. सफल निविदादाता को पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकार प्राप्त करने से पूर्व छावनी परिषद के साथ निर्धारित शर्तों के अनुसार एक संविदा जो ₹ 100/– के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अपने खर्चे से छावनी परिषद के मध्य करना होगा।

13. निविदा की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार छावनी परिषद को होगा एवं उसे यह अधिकार भी सुरक्षित होगा कि वह बिना किसी कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकती है।

14. सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों पर उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची मय पहचान पत्र सहित कार्यालय में जमा करनी होगी ताकि उन कर्मचारियों को पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए छावनी परिषद द्वारा अधिकृत परिचय पत्र जारी किया जा सके। ठेकेदार द्वारा इस हेतु नियुक्त किये गये व्यक्तियों का पुलिस द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

15. पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारियों के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। कर्मचारियों की नियुक्ति के समय सफल निविदादाता द्वारा मजदूर नियुक्ति सम्बन्धी नियमों का पूर्णरूपेण पालन करना होगा।

16. यदि सफल निविदादाता छावनी परिषद की भूमि से पार्किंग शुल्क वसूली सम्बन्धी अधिकार स्वेच्छा से छावनी परिषद को सौंपना चाहता हो तो सम्बन्धित सूचना/नोटिस एक माह पूर्व छावनी अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करनी होगी तथा इस दशा में सफल निविदादाता द्वारा नोटिस की अवधि समाप्त होने के अगले एक माह का भुगतान भी परिषद को अग्रिम रूप में करना होगा। सम्बन्धित भुगतान न किए जाने की स्थिति में उक्त राशि निविदादाता की जमानत राशि से काट ली जायेगी।

17. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लगने वाले करों का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

18. जिन वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली की गयी हो, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

19. अनाधिकृत रसीदों पर रोक के मद्देनजर पार्किंग शुल्क वसूली हेतु रसीद बुक छावनी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, जिसकी छपाई पर हुआ व्यय ₹ 15/– प्रति किताब की दर से निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

20. पार्किंग शुल्क में वृद्धि से सम्बन्धित प्रकरण परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। परिषद द्वारा पारित निर्णय के अनुसार पार्किंग शुल्क की वसूली में वृद्धि एवं कम किए जाने पर ठेकेदार को भी उसी अनुपात में मासिक किस्त का भुगतान करना होगा जिस अनुपात में परिषद द्वारा पार्किंग शुल्क की राशि में वृद्धि या कमी की जाती है।

21. उपरोक्त सभी भार्तें अनुबन्ध का भाग मानी जायेंगी।

वर्तमान पार्किंग स्थलों का विवरण निम्नवत् है
(पर्किग स्थलों में परिषद द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है) :–

1. विजय चौक के समीप।
2. पशु चिकित्सालय के नीचे।
3. विजय चौक के समीप ताहिति रैस्टोरैण्ट के सामने।
4. नागरिक चिकित्सालय के गेट के सामने।
5. आशियाना पार्क के नीचे।
6. अल्का होटल के सामने।
7. स्टेट बैंक के समीप।
8. के0एम0ओ0स्टेशन के समीप।
9. मेजर सती पार्क, चौबटिया के समीप।
10. पाठक बेकरी के समीप राजीव गांधी पार्क तक।

sd/xxxx

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, रानीखेत।
(एम0वी0एन0रेड्डी)

प्रतिलिपिः–

1. राजस्व अधीक्षक,छावनी परिषद,रानीखेत।
2. खजांची,छावनी परिषद,रानीखेत।

3- समस्त सूचना पट, रानीखेत छावनी।